लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 928

22 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एचएचईसी

928. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से ऐसे छोटे सर्राफा व्यापारियों के भुगतानों पर रोक लगाने के संबंध में राय मांगी है जिनके विरुद्ध कोई मामला या जांच लंबित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है और एचएचईसी को सीबीआई द्वारा इस पर अपनी राय न देने/स्पष्टीकरण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सीबीआई इसमें तेजी लाएगी और इस पर विचार करेगी क्योंकि सर्राफा व्यापारियों के भुगतान उनके स्पष्टीकरण/राय/निष्कर्षों पर निर्भर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): जी,हां। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल) के विरूद्ध एक मामले की जांच कर रहा है। सीबीआई ने क्रेता ऋण के लेनदेन की जांच की है तथा क्रेता ऋण को प्राप्त करने और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज तथा विदेशी बैंक द्वारा क्रेता ऋण उपलब्ध कराने लिए लगाए गए ब्याज के अंतर की राशि को अंतरित करने के संबंध में दि हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्टस ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएचईसी) से सूचना मांगी है। यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। एचएचईसी ने ईसीएल, जिसके विरूद्ध सीबीआई की जांच चल रही है, के भुगतानों को रोक दिया है। कंपनी ने अन्य बुलियन पार्टियों की राशि को भी रोका है, जिनके साथ एचएचईसी ने ईसीएल के साथ हस्ताक्षरित करारों के अनुरूप करार किए हैं। ईसीएल के मामले में सीबीआई द्वारा जांच का समान के लेनदेन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, एचएचईसी ने अन्य बुलियन पार्टियों के भुगतानों को रोकने के संबंध में सीबीआई से राय मांगी है परंतु सीबीआई से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य बुलियन पार्टियों को भुगतान ईसीएल के विरूद्ध सीबीआई की जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

*****